



2025:CGHC:61707

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1259/2022निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक 25.11.2025निर्णय उद्धोषित करने का दिनांक 17.12.2025

नंदुराम देवांगन उर्फ छोटू, पिता अंकलू राम देवांगन, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम कांकेतरा, पोस्ट बोरी, थाना लालबाग, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा आरक्षी केंद्र दुर्ग, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़।

--- प्रत्यर्थी

{वाद शीर्षक, जैसा कि वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है}

अपीलार्थी की ओर से : श्री उत्तम पाण्डेय, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री शैलेश कुमार पुरिया, पैनल अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी)

सीएवी निर्णय

1. यह दाण्डिक अपील, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एतस्मिन् पश्चात 'दं.प्र.सं' के रूप में संदर्भित) की धारा 374 (2) के अधीन, अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट, दुर्ग (छ.ग.) (एतस्मिन् पश्चात 'विशेष न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा विशेष सत्र प्रकरण (पॉक्सो) क्रमांक 99/2018 में दिनांक 24-06-2022 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने के उपरांत, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) एवं 6 के अधीन उसे निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है:-

धारा के अधीन दोषसिद्धि	कारावास का दंड	अर्थदंड एवं व्यतिक्रम शर्त
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण(पॉक्सो)अधिनियम की धारा 6	10 वर्ष का सश्रम कारावास	₹10,000/-, 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास



अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन भी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, किंतु पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के आलोक में उसे इस धारा के लिए पृथक रूप से दण्डित नहीं किया गया है, क्योंकि उसे पहले ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन समान प्रकृति के अपराध के लिए दण्डित किया जा चुका है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अवयस्क पीड़िता/अभियोक्त्री (अ.सा. 1) ने दिनांक 23.09.2018 को पद्मनाभपुर पुलिस चौकी, दुर्ग में एक लिखित शिकायत (प्र.पी.-1) प्रस्तुत की, जिसमें यह कथन किया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी नंदुराम देवांगन, जो उसके गाँव के छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन करता था, उसने उसके प्रति प्रेम व्यक्त किया और उससे बातें करता था। दिनांक 21.05.2017 को, रात लगभग 2.00 बजे, जब उसके माता-पिता बाहर थे, अभियुक्त उसके घर आया और उसे अपने प्रेम जाल में फँसाकर उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए। उसने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो भी बनाया और उसे बदनाम करने की धमकी दी। अभियुक्त द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर, उसने घटना के बारे में अपनी माँ और मामा को सूचित किया। उस समय, लोक-लज्जा के भय से उसने अपने परिवार के सदस्यों को कुछ नहीं बताया था। पीड़िता/अभियोक्त्री (अ.सा. 1) के उपरोक्त लिखित शिकायत (प्र.पी.-1) के आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506-ख और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 व 6 के अधीन पुलिस चौकी-पद्मनाभपुर में एक बिना नंबर के प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) पंजीबद्ध किया गया और तत्पश्चात थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग में क्रमांकित प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़िता का कथन अभिलिखित किया गया। डॉ. रिंपल भाटिया (अ.सा. 8) द्वारा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्र.पी.-21) के अनुसार, उन्हें पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली और वह हालिया संभोग के संबंध में कोई राय नहीं दे सकीं। उन्होंने पीड़िता की दो वेजाइनल स्लाइड तैयार कीं और उन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए सौंप दिया; उन्होंने पीड़िता के मूत्र गर्भावस्था परीक्षण का भी सुझाव दिया। गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी.-24) के अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। डॉ. आर.के. नायक (अ.सा. 5) द्वारा उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्र.पी.-16) के माध्यम से उन्होंने इस तथ्य के संबंध में "सकारात्मक" राय दी कि अपीलार्थी संभोग करने में सक्षम है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। पुलिस और पटवारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। जब्ती पत्रक प्र.पी.-6 के माध्यम से पीड़िता का एक अंतःवस्त्र जब्त किया गया और जब्ती पत्रक प्र.पी.-7 के माध्यम से पीड़िता का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र जब्त किया गया। विद्यालय की प्राचार्या त्रिवेणी देवांगन अ.सा. 6 से जब्ती पत्रक प्र.पी.-18 के माध्यम से सुभाष विद्या मंदिर, शंकर नगर, दुर्ग का दाखिल-खारिज पंजी (प्र.पी.-19-सी) जब्त किया गया, जो पीड़िता की



जन्म तिथि से संबंधित था। अपीलार्थी से जब्ती पत्रक प्र.पी.-12 के माध्यम से एक टच स्क्रीन मोबाइल और जब्ती पत्रक प्र.पी.-13 के माध्यम से एक अंतःवस्त्र जब्त किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.-27 "नकारात्मक" प्राप्त हुई। अपीलार्थी/अभियुक्त से जब्त मोबाइल फोन को परीक्षण हेतु साइबर सेल, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ भेजा गया, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श डी-2 प्राप्त हुई। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506-ख सहपठित धारा 385 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1),6 के अधीन अपराध के लिए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., दुर्ग (एतस्मिन् पश्चात "विशेष न्यायालय" के रूप में संदर्भित) के समक्ष अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (एतस्मिन् पश्चात 'आईटी एक्ट' के रूप में संदर्भित) की धारा 66-ड, भारतीय दंड संहिता की धारा 506-II, 384 एवं 385 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) एवं 6 के अधीन आरोप विरचित किए। अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण चाहा।

4. अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन ने निम्नलिखित साक्षियों का परीक्षण किया है और निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित किया है:-

साक्षीगण

अ.सा. 1	पीड़िता	अ.सा. 6	त्रिवेणी देवांगन
अ.सा. 2	सावित्री देवी देवांगन	अ.सा. 7	रविन्द्र स्वर्णकार
अ.सा. 3	बालकृष्ण देवांगन	अ.सा. 8	डॉ. रिपल भाटिया
अ.सा. 4	कोमल कुमार देवांगन	अ.सा. 9	डॉ. ए.के. साहू
अ.सा. 5	डॉ. आर.के. नायक	अ.सा. 10	श्रीमती शैल शर्मा

प्रदर्शित दस्तावेज

1.	प्र.पी.-1	शिकायत	15.	प्र.पी.-15-सी	10+ 2 प्रमाण पत्र
2.	प्र.पी.-2	प्रथम सूचना प्रतिवेदन	16.	प्र.पी.-16	अपीलार्थी की एम.एल.सी. रिपोर्ट
3.	प्र.पी.-3	पुलिस घटना स्थल नक्शा	17.	प्र.पी.-17	अपीलार्थी के अंतःवस्त्र संबंधी रिपोर्ट
4.	प्र.पी.-4	गुम इंसान पंचनामा	18.	प्र.पी.-18	जब्ती पत्रक



5.	प्र.पी.-5	पीड़िता की सहमति	19.	प्र.पी.-19-सी	दाखिल-खारिज पंजी
6.	प्र.पी.-6	जब्ती पत्रक	20.	प्र.पी.-20	अर्घई सुपुर्दनामा
7.	प्र.पी.-7	जब्ती पत्रक	21.	प्र.पी.-21	तहसीलदार को मेमो
8.	प्र.पी.-8	पटवारी घटना स्थल का नक्शा	22.	प्र.पी.-22	पीड़िता के पेंटी संबंधी रिपोर्ट
9.	प्र.पी.-9	द.प्र.सं. की धारा 164 के अधीन पीड़िता का कथन	23.	प्र.पी.-21 (पुनरावृत्ति)	पीड़िता की चिकित्सीय रिपोर्ट
10.	प्र.पी.-10	आदेश पत्रक (दिनांक 27-09-2018)	24.	प्र.पी.-23 (पुनरावृत्ति)	पीड़िता की आयु पर चिकित्सक का अभिमत
11.	प्र.पी.-11	पीड़िता का पुलिस कथन	25.	प्र.पी.-24	गिरफ्तारी पत्रक
12.	प्र.पी.-12	जब्ती पत्रक	26.	प्र.पी.-25	जब्ती पत्रक
13.	प्र.पी.-13	जब्ती पत्रक	27.	प्र.पी.-26	एफ.एस.एल. की रसीद
14.	प्र.पी.-14 सी	ग्राम पंचायत धनौरा जिला दुर्ग द्वारा जारी पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र	28.	प्र.पी.-27	एफ.एस.एल. रिपोर्ट

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी/अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के साक्ष्य में अपने विरुद्ध प्रतीत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया। उसने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया। हालांकि, उसने दो दस्तावेज प्रदर्शित किए, अर्थात् पीड़िता के मामा का पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 के रूप में और उसके मोबाइल के संबंध में पुलिस मुख्यालय, पुलिस साइबर लैब की रिपोर्ट प्रदर्श डी-2 के रूप में।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन करने के उपरांत, संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को आईटी एक्ट की धारा 66-ड और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506-II, 384 व 385 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया, किंतु उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) एवं 6 के अधीन दोषसिद्ध और इस निर्णय की प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दण्डित किया। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी और विद्वान विशेष न्यायालय ने दाखिल-खारिज पंजी (प्र.पी.-19-सी) और पीड़िता की कक्षा 10 वीं की अंकसूची के आधार पर घटना की



तिथि अर्थात् 21-05-2017 को उसकी आयु 16 वर्ष, 8 माह और 15 दिन निर्धारित की है। यह तर्क दिया गया कि पीड़िता ने पहली बार सुभाष विद्या मंदिर, शंकर नगर, दुर्ग, जो कि एक निजी विद्यालय है, में कक्षा 1 में प्रवेश लिया था, किंतु उसे उक्त विद्यालय में किसने भर्ती कराया था, इस संबंध में पीड़िता के माता और पिता के कथनों में विरोधाभास है। यह साबित नहीं हुआ है कि किस दस्तावेज के आधार पर विद्यालय के अभिलेख में कथित जन्म तिथि 06-09-2000 दर्ज की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि प्र.पी.-19-सी को सुभाष विद्या मंदिर का दाखिल-खारिज पंजी बताया गया है, किंतु विद्यालय की प्राचार्या त्रिवेणी देवांगन (अ.सा. 6) ने उक्त पंजी में विभिन्न विसंगतियों को स्वीकार किया है। इसलिए, कक्षा 10 वीं की अंकसूची में दर्ज जन्म तिथि का अवलंब नहीं लिया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि अभियोजन द्वारा पीड़िता की कक्षा 10 वीं की अंकसूची (प्र.पी.-15-सी) साबित किया गया है और उसमें उक्त जन्म तिथि का उल्लेख है, किंतु चूंकि यह साबित नहीं हुआ है कि निजी विद्यालय में किस आधार पर यह जन्म तिथि दर्ज की गई थी, इसलिए कक्षा 10 वीं की अंकसूची में उल्लेखित जन्म तिथि का अवलंब नहीं लिया जा सकता; जबकि अस्थि जांच रिपोर्ट (प्र.पी.-23) में डॉ. ए.के. साहू (अ.सा. 9) ने अभिमत दिया है कि पीड़िता की आयु 18 से 19 वर्ष थी। इस प्रकार, अभियोजन यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि घटना के दिन पीड़िता अवयस्क थी। इस संबंध में उन्होंने सुरेश विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [(2025) एआईआर एससी 3570] और पी. युवप्रकाश विरुद्ध राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक [(2023) एआईआर (एससी) 3525] के प्रकरणों का अवलंब लिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा पीड़िता /अभियोक्त्री (अ.सा. 1) के साथ कथित लैंगिक शोषण की घटना पहली बार दिनांक 21.05.2017 को घटित होना बताया गया है, किंतु पीड़िता द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। यह भी आरोप है कि अपीलार्थी ने अपने मोबाइल में उस शारीरिक संबंध का वीडियो बनाया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसका लैंगिक शोषण किया, किंतु छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर लैब की रिपोर्ट (प्रदर्श डी-2) के अनुसार, अभियुक्त के जब्त मोबाइल के परीक्षण में पीड़िता का कोई अश्लील वीडियो नहीं पाया गया। पीड़िता (अ.सा. 1) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी नहीं बताया कि अपीलार्थी द्वारा कब और कहाँ उसका बार-बार लैंगिक शोषण किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि मानसिक तनाव के कारण वह कथित तौर पर दिनांक 18.09.2018 को अपना घर छोड़कर ट्रेन से अमृतसर चली गई थी। इसके बाद, उसे वापस घर लाने के लिए उसके मामा और उनके मित्र फ्लाइट से दिल्ली गए और दिल्ली से अमृतसर तक ट्रेन से गए, जिसके बाद वे उसे ट्रेन से वापस दुर्ग लाए, परंतु पुलिस द्वारा कोई रेलवे या फ्लाइट टिकट जब्त नहीं किया गया है। चिकित्सा रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करती हैं, इसके बावजूद विद्वान विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी को बलात्संग /गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के पूर्णतः विपरीत है। अतः, उन्होंने प्रार्थना की कि अपील स्वीकार की जाए और विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी को कथित आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।



8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि चूंकि अपीलार्थी और पीड़िता एक ही जाति के थे, इसलिए अपीलार्थी ने उसका मोबाइल नंबर प्राप्त करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया; तत्पश्चात्, दिनांक 21.05.2017 को, वह उसके घर गया और उसे बेहोश करने वाला पदार्थ मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अपीलार्थी ने अपने मोबाइल में इसका वीडियो भी बना लिया और इसके बाद, उसने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसका लैंगिक शोषण किया। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने मित्रता की आड़ में पीड़िता को धोखा देकर उसका बार-बार लैंगिक शोषण किया, जो कि अभियोजन के साक्षियों द्वारा साबित किया जा चुका है, अतः उन्होंने प्रार्थना की कि अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

10. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, घटना के दिन अर्थात् 21.05.2017 को पीड़िता अवयस्क थी। विद्वान विशेष न्यायालय ने दाखिल-खारिज पंजी (प्र.पी.-19 सी) और उसकी कक्षा 10 वीं की अंकसूची (प्र.पी.-15 सी) के आधार पर घटना के दिन पीड़िता को अवयस्क, अर्थात् 16 वर्ष, 8 माह और 15 दिन का माना है। इन दोनों दस्तावेजों में पीड़िता की जन्म तिथि 06.09.2000 दर्ज है। दाखिल-खारिज पंजी (प्र.पी.-19 सी) को श्रीमती शैल शर्मा (अ.सा. -10) द्वारा जब्त किया गया था, जो इस प्रकरण की विवेचना अधिकारी हैं। त्रिवेणी देवांगन (अ.सा.-6) सुभाष विद्या मंदिर, शंकर नगर, दुर्ग की प्राचार्या हैं। उनके कथन और प्र.पी.-19 सी की प्रविष्टि के अनुसार, पीड़िता ने दिनांक 30.06.2006 को उक्त विद्यालय में कक्षा पहली में प्रवेश लिया था। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त जन्म तिथि किस आधार पर अंकित की गई थी।

11. पीड़िता (अ.सा.-1), उसकी माता (अ.सा.-2) और उसके पिता (अ.सा.-3) ने यह कथन किया है कि पीड़िता की जन्म तिथि 06.09.2000 है। यद्यपि, पीड़िता का विद्यालय में प्रवेश किसने कराया था, इस संबंध में उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में विरोधाभास है; क्योंकि पीड़िता की माता (अ.सा.-2) ने कथन किया है कि उसकी माँ (पीड़िता की नानी) ने उसे विद्यालय में दाखिल कराया था, जबकि उसके पिता (अ.सा.-3) ने कथन किया है कि उसके नाना ने उसे विद्यालय में दाखिल कराया था। बच्चों की जन्म तिथि जानने के लिए उनके माता और पिता सर्वोत्तम साक्षी होते हैं। यदि वे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा बताई गई जन्म तिथि पर तब तक अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि ठोस साक्ष्यों द्वारा उसका खंडन न किया गया हो।



वर्तमान प्रकरण में, पीड़िता की माता (अ.सा.-2) ने न केवल अपनी सबसे बड़ी संतान की जन्म तिथि बताई है, बल्कि अपनी तीनों संतानों की जन्म तिथियों का भी उल्लेख किया है। वह स्वयं एक शिक्षित स्त्री है जिसने कक्षा 11 वीं तक अध्ययन किया है (उनके प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 18), इसलिए उसके माता-पिता द्वारा बताई गई पीड़िता की जन्म तिथि को खारिज नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब, जब उनके कथनों को दाखिल-खारिज पंजी (प्र.पी.-19 सी) और पीड़िता की कक्षा 10 वीं की अंकसूची से भी समर्थन प्राप्त होता है।

12. प्र.पी.-14 सी को ग्राम पंचायत घनौरा, जिला दुर्ग के सरपंच द्वारा जारी किया गया पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र बताया गया है, किंतु विधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच को किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है, अतः इस दस्तावेज का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

13. प्र.पी.-15 सी पीड़िता की उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+ 2), 2016 की अंकसूची अर्थात् कक्षा 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति है, जिसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जारी किया गया है। इस दस्तावेज में भी उसकी जन्म तिथि 06.09.2000 दर्ज है, जैसा कि दाखिल-खारिज पंजी (प्र.पी.-19 सी) में उल्लेख किया गया है और पीड़िता एवं उसके माता-पिता द्वारा अभिसाक्ष्य में कथन किया गया है।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया था कि चूंकि सुभाष विद्या मंदिर, शंकर नगर, दुर्ग एक निजी विद्यालय है, इसलिए दाखिल-खारिज रजिस्टर (प्र.पी.-19 सी) में दर्ज पीड़िता की जन्म तिथि का अवलंब नहीं लिया जा सकता, क्योंकि न तो उक्त विद्यालय एक शासकीय विद्यालय था और न ही प्रविष्टि किसी लोक सेवक द्वारा की गई थी; अतः न तो उस दस्तावेज को लोक दस्तावेज माना जा सकता है और न ही कक्षा 10 वीं की अंकसूची (प्र.पी.-15 सी) में दर्ज जन्म तिथि का अवलंब लिया जा सकता है। इस संबंध में, उन्होंने सुरेश विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य¹ के प्रकरण का अवलंब लिया, किंतु अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क संधारणीय नहीं पाया गया है। यद्यपि, उक्त विद्यालय एक निजी विद्यालय प्रतीत होता है, किंतु दाखिल-खारिज पंजी (प्र.पी.-19 सी) में उल्लिखित पीड़िता की जन्म तिथि, अर्थात् 06.09.2000, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जारी उसकी कक्षा 10 वीं की अंकसूची में भी दर्ज है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि किशोर (बालक/पीड़ित) की आयु अवधारण करने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (एतस्मिन् पश्चात्, किशोर न्याय अधिनियम, 2015) के प्रावधान लागू होते हैं, जैसा कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 34 (1) में प्रावधानित किया गया है।

16. पॉक्सो अधिनियम की धारा 34(1) के आलोक में, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 सुसंगत और लागू होती है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:—

1 (2025) AIR (SC) 3570



“94. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण-

(1) जहां बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की प्रतीति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेषण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, यथास्थिति, धारा 14 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा-

(i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र :

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा:

परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पी. युवाप्रकाश (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, पीड़ित/किशोर/बालक की आयु के अवधारण के विवाद्यक, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में निहित प्रावधानों और विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, कण्डिकाएँ 13 से 16 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—


“13. उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि जहाँ कहीं भी पॉक्सो अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के पीड़ित होने के संदर्भ में उसकी आयु के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, तो न्यायालयों को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में इंगित चरणों का आश्रय लेना होगा। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार वे तीन दस्तावेज, जिन पर प्राथमिकता के क्रम में विचार किया जाना आवश्यक है, वे यह हैं



कि संबंधित न्यायालय को निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार करके आयु का अवधारण करना होगा:

- (i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;
- (ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र :
- (iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा"

14. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2)(iii) स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाएगी और केवल इन दस्तावेजों के अभाव में ही संबंधित प्राधिकारी, अर्थात् समिति या बोर्ड या न्यायालय के आदेश पर आयोजित "अस्थि जांच" या "किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु अवधारण जांच" के माध्यम से आयु अवधारित की जानी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, स्वीकृत रूप से, केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर विचार किया गया था, न कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र पर। प्रदर्श सी-1, अर्थात् विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में पीड़िता की जन्म तिथि 11.07.1997 दर्शाई गई थी। महत्वपूर्ण रूप से, स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभियोजन द्वारा नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा आहूत साक्षी, अर्थात् न्या.सा.-1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो वह आरोप लगाता है उसे साबित करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है; इसलिए, अभियोजन ऐसे दस्तावेज का आश्रय नहीं ले सकता था जिस पर उसने कभी अवलंब ही नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त, डी.डब्ल्यू.-3, संबंधित राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार) ने शपथ पर यह कथन किया था कि वर्ष 1997 के जन्म और मृत्यु से संबंधित अभिलेख गायब थे। चूंकि प्रदर्श सी-1 केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र था, इसलिए यह धारा 94(2) (i) में वर्णित दस्तावेजों की किसी भी श्रेणी के विवरण के अनुरूप नहीं था, अतः अपराध के समय 'एम' की आयु 18 वर्ष से कम थी, यह मानने के लिए प्रदर्श सी-1 का अवलंब नहीं लिया जा सकता था।





15. हाल ही के एक निर्णय, ऋषिपाल सिंह सोलंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य² में, इस न्यायालय ने उन प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित किया है जहाँ आयु का अवधारण आवश्यक होता है। न्यायालय तत्कालीन किशोर न्याय नियमों के नियम 12 (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के पूर्णतः समान है) पर विचार कर रहा था, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“20. किशोर न्याय नियम, 2007 का नियम 12 आयु अवधारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। विधि का उल्लंघन करने वाले के किशोर होने का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक बनावट या उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना था। किंतु न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की जानी थी: (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में; (ii) सबसे पहले प्रवेश लिए गए विद्यालय (प्ले स्कूल के अतिरिक्त) से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र; और उसके अभाव में; (iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। केवल उपरोक्त (i), (ii) और (iii) में से किसी के भी उपलब्ध न होने पर ही, किशोर या बालक की आयु घोषित करने के लिए विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सीय अभिमत मांगी जा सकती थी। यह भी प्रावधान किया गया था कि अवधारण करते समय, एक वर्ष के अंतर के भीतर आयु को निम्नतर पक्ष मानकर बालक या किशोर को उसका लाभ दिया जा सकता है।”

16. किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2) में दिए गए विभिन्न विकल्पों के संबंध में, इस न्यायालय ने संजीव कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य³ में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

“धारा 94(2) का खंड (i), विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र और संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र को एक ही श्रेणी (अर्थात् ऊपर दी गई श्रेणी (i)) में रखता है। उसके अभाव में, श्रेणी (ii) निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान करती है। केवल (i) और (ii) के अभाव में ही चिकित्सीय विश्लेषण के माध्यम से आयु अवधारण का प्रावधान किया गया है। धारा 94(2)(क)(i), वर्ष 2000 के अधिनियम के अधीन बनाए गए 2007 के नियमों के नियम 12(3)(क) में निहित प्रावधानों की तुलना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। नियम

2 (2022) 8 SCC 602

3 (2019) 12 SCC 370



12(3)(क)(i) के अधीन मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी गई थी और केवल प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में ही सबसे पहले प्रवेश लिए गए विद्यालय से जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता था। धारा 94(2)(i) में विद्यालय के जन्म तिथि प्रमाण पत्र और मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है।”

18. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओमप्रकाश विरुद्ध भारत संघ (दाण्डिक अपील क्रमांक 4229/2024, निर्णय दिनांक 8 जनवरी, 2025) और रजनी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य⁴ के प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधानों पर बल देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि अवयस्क के आयु का अवधारण किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार किया जाना चाहिए। यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 की ही पुनरावृत्ति है, जो किसी व्यक्ति की आयु अवधारित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा और क्रम को अनिवार्य बनाता है, अर्थात: सबसे पहले विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन/ समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में; किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। और केवल उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में ही, समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित अस्थि जांच या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।

19. इस प्रकार, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के उपरोक्त प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त प्रकरणों में पारित निर्णयों के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट है कि, पीड़िता/किशोर का आयु अवधारित करने के लिए, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2) का खंड (i), विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र और संबंधित परीक्षा बोर्ड से प्राप्त मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र को एक ही श्रेणी, अर्थात उपरोक्त (i) में रखता है। उसके अभाव में, श्रेणी (ii) का विकल्प चुना जा सकता है। आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल (i) और (ii) के अभाव में ही चिकित्सीय विश्लेषण द्वारा आयु अवधारण पर विचार किया जा सकता है। न तो उपरोक्त प्रावधान और न ही उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय यह प्रावधान करता है कि यदि पीड़िता/किशोर ने किसी निजी विद्यालय में अध्ययन किया है और उसी विद्यालय में अध्ययन करते समय संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा उसे मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसमें दर्ज जन्म तिथि का अवलंब नहीं लिया जाएगा। बल्कि उपरोक्त प्रावधान में यह प्रावधानित किया गया है कि संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को ही ऐसे बालक के आयु अवधारण के लिए अपनाया जाएगा। अतः, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि पीड़िता की कक्षा 10 वीं की



अंकसूची (प्र.पी.-15 सी) में दर्ज जन्म तिथि को उसकी वास्तविक जन्म तिथि नहीं माना जा सकता क्योंकि यह निजी विद्यालय के अभिलेख के आधार पर दर्ज किया गया था, संधारणीय नहीं है।

20. यद्यपि, डॉ. ए.के. साहू (अ.सा.-9), जिन्होंने दिनांक 25.09.2018 को पीड़िता का अस्थि जांच किया था, उन्होंने प्र.पी.-23 के माध्यम से यह राय दी है कि उक्त अस्थि जांच की तिथि पर पीड़िता की आयु 18-19 वर्ष के बीच थी; किंतु यह अस्थि जांच प्रथम घटना की तिथि दिनांक 21.05.2017 से एक वर्ष और 3 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जब उच्च श्रेणी के बेहतर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हों, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2)(i) में प्रावधानित है और जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोक्त उद्धृत प्रकरणों में यथावत रखा है, तो पीड़िता की आयु अवधारित करने के लिए अस्थि जांच रिपोर्ट (प्र.पी.-23) निरर्थक हो जाती है।

21. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, यह पाया जाता है कि विद्वान विशेष न्यायालय ने यह मानने में कोई त्रुटि नहीं की है कि प्रथम घटना के दिन, अर्थात् दिनांक 21.05.2017 को पीड़िता अवयस्क थी और उसकी आयु 16 वर्ष, 8 माह और 15 दिन थी।

22. पीड़िता के अभिसाक्ष्य के परिशीलन से यह भली-भांति साबित होता है कि पीड़िता और अपीलार्थी के मध्य प्रेम संबंध थे। उसने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 21.05.2017 की रात्रि लगभग 2 बजे, जब उसके माता-पिता घर पर नहीं थे, तब अपीलार्थी उसके घर के बाहर आया और उससे दरवाजा खोलने को कहा, अन्यथा उसने चिल्लाकर सभी को जगा देने की धमकी दी; अतः भय और दबाव में आकर उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद, उन्होंने एक कमरे में लगभग 10-15 मिनट तक बातचीत की, जहाँ उसने अपीलार्थी द्वारा लाए गए कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया और वह बेहोश हो गई; जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए अपीलार्थी ने उसका लैंगिक शोषण किया, जिसकी उसे जानकारी नहीं थी क्योंकि वह बेहोश थी। तत्पश्चात्, अपीलार्थी उसे उसी स्थिति में छोड़कर चला गया; जब उसे होश आया, तब उसे अहसास हुआ कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ लैंगिक दुराचार किया गया है। उसने आगे कथन किया कि पूछे जाने पर अपीलार्थी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की और कहा कि वह उसे पसंद करता है, उससे प्रेम करता है और उससे विवाह भी करेगा। उसने आगे यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उस शारीरिक संबंध का वीडियो बना लिया था और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर, एक वर्ष तक उसकी सम्मति के बिना बार-बार उसका लैंगिक शोषण किया। उसने आगे कथन किया कि दिनांक 15.09.2018 को जब वह कॉलेज जा रही थी, तब अपीलार्थी ने उसे रोका और उसका फोन छीन लिया, जिसे उसके परिवार वालों के फोन करने पर उसके द्वारा वापस कर दिया गया; अपीलार्थी के ऐसे आचरण और व्यवहार से वह तंग आ गई थी, इसलिए दिनांक 18.09.2018 को वह बस से रायपुर गई और वहां से ट्रेन से अमृतसर चली गई, जहाँ से उसके मामा और उनके मित्र उसे वापस घर ले आए।



23. पीड़िता के उपरोक्त अभिसाक्ष्य को उसकी माता (अ.सा.-2), उसके पिता (अ.सा.-3) और उसके मामा (अ.सा.-4) द्वारा भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें पीड़िता ने अपीलार्थी द्वारा अपने लैंगिक शोषण की कथित घटना के बारे में बताया था।

24. चूंकि पीड़िता अपने परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना घर से चली गई थी और काफी खोजबीन के बाद भी जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए, तो दिनांक 18.09.2018 को पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दिनांक 22.09.2018 को वापस लौटने के बाद, पीड़िता द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध लिखित शिकायत (प्र.पी.-1) दर्ज कराई गई। इसी आधार पर, दिनांक 23.09.2018 को पुलिस चौकी पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) पंजीबद्ध किया गया, किंतु उससे पूर्व पुलिस द्वारा पीड़िता का बरामदगी मेमो (प्र.पी.-4) तैयार किया गया था, जिसे पीड़िता (अ.सा.-1), उसकी माता (अ.सा.-2), उसके पिता (अ.सा.-3) और विवेचना अधिकारी (अ.सा.-10) द्वारा साबित किया गया है।

25. पीड़िता की बरामदगी के बाद, डॉ. रिम्पल भाटिया (अ.सा.-8) द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें एम.एल.सी. रिपोर्ट {पी.-21 (दोहराया गया नंबर)} के माध्यम से उन्होंने यह राय दी कि पीड़िता के द्वितीयक लैंगिक लक्षण भली-भांति विकसित थे, हाइमन अनुपस्थित था, और उसके शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी; अतः उन्होंने कथन किया कि पीड़िता के साथ हाल ही में हुए लैंगिक संभोग के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। उन्होंने पीड़िता के दो वैजाइनल स्लाइड तैयार किए और उन्हें संबंधित आरक्षण को रासायनिक परीक्षण हेतु सौंप दिया। उन्होंने पीड़िता के मूत्र गर्भावस्था परीक्षण का भी सुझाव दिया था, किंतु अभियोजन द्वारा पीड़िता की ऐसी कोई परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत/साबित नहीं की गई है।

26. जब्ती पत्रक (प्र.पी.-6) के माध्यम से पीड़िता का अंतर्वस्त्र (पेंटी) जब्त किया गया, जिसे पीड़िता, उसकी माता और विवेचना अधिकारी (अ.सा.-10) द्वारा साबित किया गया है। चिकित्सक द्वारा एकत्र किए गए पीड़िता के वैजाइनल स्लाइड को भी जब्ती पत्रक (प्र.पी.-25) के माध्यम से जब्त किया गया था। अपीलार्थी का चिकित्सीय परीक्षण डॉ. आर.के. नायक (अ.सा.-5) द्वारा किया गया था, जिसमें एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्र.पी.-16) के माध्यम से उन्होंने यह राय दी कि अपीलार्थी लैंगिक संभोग करने में सक्षम था। अपीलार्थी का अंतर्वस्त्र भी जब्ती पत्रक (प्र.पी.-13) के माध्यम से जब्त किया गया था।

27. पीड़िता की जब्त की गई वैजाइनल स्लाइड, उसकी पेंटी और अपीलार्थी के अंतर्वस्त्र को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिसमें प्र.पी.-27 के माध्यम से एफ.एस.एल. रायपुर ने यह रिपोर्ट दी कि उपरोक्त वस्तुओं में कोई वीर्य और मानव शुक्राणु नहीं पाए गए। इस प्रकार, पीड़िता की चिकित्सीय रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करती हैं।

28. इस प्रकार, अभियोजन का पूरा प्रकरण पीड़िता (अ.सा.-1), उसकी माता (अ.सा.-2), उसके पिता (अ.सा.-3) और मामा (अ.सा.-4) के साक्ष्य पर आधारित है, किंतु कथित लैंगिक शोषण के



संबंध में अ.सा.-2, 3 व 4 केवल अनुश्रुत साक्षी हैं, जिन्हें पीड़िता ने उक्त तथ्यों के बारे में बताया था। अतः, "इस न्यायालय द्वारा विचारणीय मुख्य बिंदु यह है कि क्या पीड़िता को 'उत्कृष्ट साक्षी' माना जा सकता है और क्या केवल उसके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत रखा जा सकता है?"

29. गणेशन विरुद्ध राज्य, द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक⁵ के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक अपराधों से संबंधित प्रकरणों में, यदि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो न्यायालय बिना किसी संपुष्टि के अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है।

30. निर्मला प्रेम कुमार व एक अन्य विरुद्ध राज्य, द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस⁶ के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांत को दोहराते हुए कण्डिका 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

"15. उपरोक्त निर्णय से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ साक्षीगण न तो पूरी तरह विश्वसनीय हों और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय, वहाँ न्यायालय को घटना के वास्तविक उद्गम का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय बिना किसी अतिरिक्त संपुष्टि के पीड़िता का एक उत्कृष्ट साक्षी के रूप में अवलंब ले सकता है, किंतु उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता अपवादिक रूप से उच्च होनी चाहिए। अभियोक्त्री का कथन प्रारंभ से अंत तक सुसंगत होना चाहिए (साधारण विसंगतियों को छोड़कर), प्रारंभिक कथन से लेकर मौखिक साक्ष्य तक, जिससे अभियोजन के प्रकरण के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न न हो। यद्यपि लैंगिक अपराध के प्रकरणों में पीड़िता का परिसाक्ष्य आमतौर पर पर्याप्त होता है, किंतु अभियोक्त्री का एक अविश्वसनीय और अपर्याप्त विवरण, जिसमें स्पष्ट त्रुटियाँ और कमियाँ हों, दोषसिद्धि अभिलिखित करना कठिन बना सकता है।"

31. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए, जब पीड़िता के साक्ष्य का परीक्षण किया जाता है, तो यह पाया जाता है कि उसके अभिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के अधीन अभिलिखित उसके कथनों में कई तात्त्विक लोप और अस्वाभाविकताएँ प्रतीत होती हैं।

32. पीड़िता के अभिसाक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी ने पहली बार दिनांक 21.05.2017 को उसके घर आकर, धमकी देकर दरवाजा खुलवाया और अपने साथ लाए स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक को पिलाकर उसका लैंगिक शोषण किया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी; किंतु उसने उसके द्वारा की गई लिखित

5 2020 (10) SCC 573

6 Criminal Appeal No. 1098 of 2024



शिकायत (प्र.पी.-1) में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है, जबकि वह लिखित शिकायत उसने स्वयं अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के संरक्षण में लिखी थी। यद्यपि, उक्त तथ्य उसके द्वारा अगले दिन अर्थात् दिनांक 24.09.2018 को दर्ज पुलिस कथन और 27.09.2018 को दर्ज धारा 164 के कथन (प्र.पी.-9) में बताया गया था। उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन (प्र.पी.-9) में कहा था कि जब उसने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया, तो अपीलार्थी ने बलपूर्वक उसके मुंह में बोतल लगा दी, किंतु अपने साक्ष्य में उसने कथन किया है कि उसने स्वयं कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली और उसे पिया। उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन नहीं किया कि अपीलार्थी ने उसे बलपूर्वक उक्त कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी।

33. पीड़िता ने अपने अभिसाक्ष्य और अन्य कथनों में भी यह कहा है कि दिनांक 21.05.2017 को पहली बार शारीरिक संबंध बनाने के दौरान, अपीलार्थी ने अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया था और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर, उसने एक वर्ष तक बार-बार उसका लैंगिक शोषण किया।

34. विवेचना अधिकारी (अ.सा.-10) द्वारा जब्ती पत्रक (प्र.पी.-12) के माध्यम से अपीलार्थी से सिम नंबर 899111000006580-16051 वाला एक एम.आई. सुनहरे रंग का टच स्क्रीन मोबाइल जब्त किया गया था, जिसे परीक्षण हेतु साइबर सेल, पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, रायपुर भेजा गया था।

35. अभियोजन द्वारा उक्त मोबाइल की साइबर लैब रिपोर्ट (प्रदर्श डी-2) को प्रदर्शित या साबित नहीं किया गया है, बल्कि इसे अपीलार्थी द्वारा विवेचना अधिकारी (अ.सा.-10) के प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रदर्शित कराया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, कॉल लॉग, एसएमएस, इमेज, ऑडियो और वीडियो के डेटा को पुनर्प्राप्त करने पर, पीड़िता और अपीलार्थी की संयुक्त फोटो तो पाई गई, किंतु पीड़िता का कोई भी अश्लील वीडियो नहीं मिला। पीड़िता ने भी यह कथन नहीं किया है कि उसने कभी अपीलार्थी के मोबाइल फोन में ऐसा कोई वीडियो देखा था।

36. विवेचना अधिकारी (अ.सा.-10) ने कण्डिका 18 में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपीलार्थी के जब्त मोबाइल में कोई अश्लील वीडियो नहीं देखा था; अभियोजन के अन्य साक्षियों ने भी यह नहीं बताया है कि उन्होंने अपीलार्थी के मोबाइल में अपीलार्थी और पीड़िता का ऐसा कोई अश्लील वीडियो देखा था। इस प्रकार, पीड़िता के इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने अपने मोबाइल में कथित शारीरिक संबंध का वीडियो बनाया था, अतः बार-बार लैंगिक शोषण करने के लिए (कथित अश्लील वीडियो को वायरल करने की) कथित धमकी का आधार अभियोजन द्वारा स्थापित नहीं पाया गया है। पीड़िता ने अपने साक्ष्य में कथित बार-बार के शारीरिक संबंधों की तिथि, स्थान और परिस्थितियों के विषय में भी कुछ नहीं बताया है और न ही यह बताया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ अंतिम बार शारीरिक संबंध कब बनाए थे।



37. पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन (प्रदर्श पी-9) में कहा है कि अंतिम बार अपीलार्थी दिनांक 15.09.2018 को बलपूर्वक संबंध बनाने के लिए उसके घर आया था, जिसका उसने विरोध किया, तब अपीलार्थी ने उसे अपना हाथ काटने या लैंगिक संबंध बनाने का दर्द सहने में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, जिस पर उसने ब्लेड से अपनी बाईं कलाई काट ली थी, इसके बावजूद अपीलार्थी ने उसके साथ जबरदस्ती की। किंतु, इन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख उसने न तो अपनी लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-1) या पुलिस कथन (प्रदर्श पी-11) में किया है और न ही अपने साक्ष्य में। उसके माता-पिता ने भी यह कथन नहीं किया है कि दिनांक 15.09.2018 को उन्होंने पीड़िता की बाईं कलाई पर कोई चोट देखी थी। इसके विपरीत, उसके साक्ष्य के अनुसार दिनांक 15.09.2018 को जब वह कॉलेज जा रही थी, तब अपीलार्थी ने उसका फोन छीन लिया था, जबकि धारा 164 के उसके कथन के अनुसार वह घटना दिनांक 17.09.2018 को हुई थी।

38. पीड़िता (अ.सा.-1) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन (प्रदर्श पी-9) में आगे यह कहा है कि लैंगिक संबंध के लिए विवश करते समय, अपीलार्थी ने अपना लिंग उसके मुँह में भी डाला था; और मना करने पर, उसने उसे गंदी-गंदी गालियाँ दीं, जैसे "अरे कमीनी, अगर तूने ऐसा नहीं किया, तो मैं तेरी योनि और गुदा को फाड़ डालूँगा।" उसने आगे यह भी कथन किया कि लैंगिक संबंध के दौरान अपीलार्थी उसकी योनि और गुदा में तेल और शैम्पू डालता था। किंतु, उपरोक्त तात्विक तथ्यों का उल्लेख उसने न तो अपने पुलिस कथन (प्रदर्श पी-11) में और न ही अपने साक्ष्य में किया है।

39. पीड़िता (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके मामा अपने परिवार के साथ उनके घर में ही रहते हैं, जो उसके घर से सटा हुआ है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के कण्डिका 44 में यह भी स्वीकार किया है कि वह जानबूझकर अपीलार्थी को रात में बुलाती थी, ताकि उसके पड़ोसी और मामा सो जाएं और किसी को भी उपरोक्त तथ्य के बारे में पता न चले। उसने कण्डिका 42 में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि एक बार उसकी माता ने अपीलार्थी को डांटा था और उसे पीड़िता से बात करने से मना किया था, इसके बावजूद वे फोन पर बात करते थे। यद्यपि, पीड़िता (अ.सा.-1) की माता ने कहा है कि वह उनके बीच की दोस्ती/बातचीत के बारे में नहीं जानती थी, किंतु पीड़िता की उपरोक्त स्वीकारोक्ति दर्शाती है कि उसकी माता (अ.सा.-2) उनके बीच होने वाली बातचीत से भली-भांति अवगत थी।

40. पीड़िता (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, जब अपीलार्थी ने कथित तौर पर पहली बार दिनांक 21.05.2017 की रात को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, उस समय उसके माता-पिता घर में उपस्थित नहीं थे, बल्कि केवल उसके दादा, दादी और छोटी बहन घर में सो रहे थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उसके घर में परिवार के कई सदस्य रहते थे, किंतु उसने यह नहीं बताया है कि अपीलार्थी हर बार किस तरह और किन परिस्थितियों में उसके घर में प्रवेश करता था, वह भी एक वर्ष से अधिक



समय तक। यह एक सामान्य बात है कि जब घर में जवान बेटी (बेटियाँ) रह रही होती हैं, तो माता-पिता/बुजुर्ग अभिभावक उनकी अधिक देखरेख करते हैं, किंतु पीड़िता के माता-पिता ने अपने अभिसाक्ष्य में यह नहीं कहा है कि उन्होंने कभी यह देखा या संदेह किया था कि अपीलार्थी रात में उनके घर आता था; यदि ऐसा हुआ होता, तो उन्हें इसका पता चल गया होता।

41. पीड़िता एक जवान युवती थी और अपीलार्थी ने कथित तौर पर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए थे, किंतु डॉ. रिम्पल भाटिया (अ.सा.-8) द्वारा पीड़िता के गर्भावस्था परीक्षण का सुझाव दिए जाने के बावजूद, ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि अभियोजन द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत/साबित नहीं की गई है; आरोप की सत्यता का पता लगाने के लिए यह परीक्षण किया जाना और साबित किया जाना चाहिए था, जो अभियोजन के विरुद्ध जाता है।

42. पीड़िता ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथित लैंगिक शोषण के कारण वह परेशान हो गई थी, इसलिए उसने दिनांक 18.09.2018 को घर छोड़ दिया और ट्रेन से अमृतसर चली गई, जहाँ से उसके मामा (अ.सा.-4) और उनके मित्र उसे ट्रेन से वापस लाए। उसने आगे यह भी कथन किया कि उसने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था, किंतु ट्रेन में भीड़ होने के कारण वह सफल नहीं हो सकी। यदि कोई युवती इस तरह के मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रही हो, तो यह उसके व्यवहार से जरूर झलकता है; और यह नहीं माना जा सकता कि उसके माता-पिता विशेषकर उसकी माँ/दादी इस बात से अनजान या बेखबर रहे होंगे; किंतु पीड़िता के माता और पिता ने अपने अभिसाक्ष्य में यह नहीं कहा है कि उन्होंने कभी यह देखा या महसूस किया था कि पीड़िता इस तरह के मानसिक तनाव या अवसाद में थी।

43. पीड़िता और उसके मामा (अ.सा.-4) के साक्ष्य के अनुसार, कथित तनाव/अवसाद के कारण दिनांक 18.09.2018 को पीड़िता रायपुर से ट्रेन से अमृतसर गई थी और उसे वापस लाने के लिए अ.सा.-4 और उसका मित्र रायपुर से फ्लाइट से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से ट्रेन से अमृतसर गए और वे पीड़िता के साथ ट्रेन से दुर्ग लौटे। पीड़िता ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि वह दिनांक 21.09.2018 की रात अमृतसर के एक होटल में रुकी थी। किंतु, उपरोक्त तथ्य को साबित करने के लिए पुलिस द्वारा न तो ट्रेन या फ्लाइट के टिकट जब्त किए गए हैं और न ही कथित होटल की रसीद या रजिस्टर जब्त किया गया है।

44. यदि अभियोजन साक्षियों की अमृतसर यात्रा से जुड़ी घटनाओं को अनदेखा कर दिया जाए, तो केवल यही तथ्य शेष बचता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन की तारीख से 1 वर्ष 4 माह पूर्व पहली बार पीड़िता का लैंगिक शोषण किया था और एक वर्ष तक ऐसा करना जारी रखा, किंतु रिपोर्ट पहली घटना की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत दर्ज कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, पीड़िता के अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने हेतु कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,



जैसा कि चिकित्सकीय रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट उसके साक्ष्य का समर्थन नहीं करती हैं और उसका साक्ष्य गंभीर/तात्त्विक लोप और अस्वाभाविकताओं से ग्रसित है।

45. अपीलार्थी द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक पीड़िता के कथित लैंगिक शोषण पर विचार करते हुए, जो कि उसके अपने ही घर में होना प्रतीत होता है, वहाँ दादा, दादी और छोटी बहन सर्वोत्तम साक्षी हो सकते थे, किंतु अभियोजन द्वारा उनका परीक्षण नहीं कराया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के प्रकरणों में पीड़िता घटना की जानकारी अपने अभिभावकों को देती है, इस नाते अभिभावक महत्वपूर्ण साक्षी होते हैं, जैसा कि अलामेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य, द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक⁷ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय जिसका संदर्भ विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा भी दिया गया है; किंतु यदि पीड़िता का कथन विश्वसनीय और निर्णायक नहीं पाया जाता है, तो श्रुति पर आधारित माता-पिता के साक्ष्य को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

46. इस प्रकार, चूँकि पीड़िता के कई कथनों और अभिसाक्ष्य/साक्ष्य में तात्त्विक विसंगतियाँ, लोप और अस्वाभाविकताएँ विद्यमान हैं, उसका साक्ष्य प्रारंभ से अंत तक सुसंगत नहीं पाया गया है। अतः, उसके साक्ष्य को विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल पीड़िता/अभियोक्त्री के एकल साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती।

47. पूर्ववर्ती विश्लेषण के आलोक में, यह दायिद्विक अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) एवं 6 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

48. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 में निहित प्रावधानों के आलोक में, उसके जमानत बंधपत्र आगामी छह माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

49. इस निर्णय की प्रति, विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ, अनुपालनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/-
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

